(973)

CENTRE for e-GOVERNANCE U.P.
1st Floor, UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
सेण्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश (उ.प्र. सरकार की समिति)
प्रथम तल, अपट्रॉन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ –226010

संख्याःसीईजी/P/10/XI/285/16
दिनांकः27.06.2016

आवक
27/06/2016

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विशयः लोकवाणी केन्द्रों के नई डी.एस.पी. व्यवस्था में समाहित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

शासन स्तर से लिये गये निर्णय के क्रम में जन सेवा केन्द्रों के संचालन की वर्तमान व्यवस्था में जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाईडर (डी.एस.पी.) द्वारा जन सेवा केन्द्रों के संचालन की कार्यवाही की जा रही है। इस नई व्यवस्था में डी.एस.पी. संस्था को लोकवाणी केन्द्रों के संचालन के लिये भी अधिकृत किया गया है। अतः इस यू.पी.सी.एस.सी.–2.0 व्यवस्था में वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में चल रहे लोकवाणी केन्द्रों को उनकी वर्तमान पहचान को बदले बिना नई डी.एस.पी. व्यवस्था में सम्बद्व किये जाने की आवश्यकता है।

उक्त के क्रम में जिन लोकवाणी केन्द्रों के अनुबन्ध समाप्त हो गये है अथवा निकट भविष्य में समाप्त होने वाले है, को नई डी.एस.पी. व्यवस्था में सम्मिलित किया जाना है। इसके अतिरिक्त भविष्य में शहरी क्षेत्रों में खोले जाने वाले केन्द्र, शहरी लोकवाणी केन्द्रों के नाम से ही स्थापित किये जायेंगे जिनका नवीन पंजीकरण एवं संचालन डी.एस.पी. संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

लोकवाणी केन्द्रों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि लोकवाणी केन्द्र अपनी वर्तमान पहचान एवं निर्धारित स्थान पर कार्य करते रहेंगे। डी.एस.पी. के सम्बन्ध मे स्पष्ट किया जाना है कि डी.एस.पी. व्यवस्था जन सेवा केन्द्रों के संचालन एवं बेहतर समन्वय हेतु एकल सम्पर्क सूत्र सुनिश्चित किये जाने की अवधारणा से की गयी है जिसके अन्तर्गत जनपद में कार्यरत डी.एस.पी. का कार्य असन्तोषजनक पाये जाने पर डी.ई.जी.एस. को चयनित डी.एस.पी. संस्थाओं की परफार्मेन्स बैंक गारण्टी जब्त किये जाने एवं अनुबन्ध निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार है।

उपरोक्त के क्रम में आपके स्तर से निम्न कार्यवाहियां अपेक्षित है:–

1. आपके जनपद में कार्यरत सभी लोकवाणी संस्थाओं की सूचना जैसे–लोकवाणी संचालक का नाम, लोकवाणी केन्द्र का पूर्ण पता, मोबाइल/लैण्डलाइन नम्बर, ई–मेल आई.डी., तहसील, ब्लाक, पिन कोड इत्यादि की सूचना को सी.ई.जी. को उपलब्ध किया जाना।
2. समस्त लोकवाणी आई.डी. के समक्ष उनके वार्षिक अनुबन्ध के अनुरूप उनके कार्यकाल की अंतिम तिथि अंकित किया जाना।

3. जनपद में शहरी क्षेत्रों में लोकवाणी केन्द्रों सहित जनसेवा केन्द्रों की संख्या का निर्धारण किया जाना।
4. यदि जनपद में नये लोकवाणी केन्द्र वर्ष 2016 में खोले गये है या लोकवाणी केन्द्रों के आवण्टन में अन्तिम तिथि का उल्लेख नही है, तो ऐसे सभी लोकवाणी केन्द्रों को डी.एस.पी. व्यवस्था में सम्बद्व किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर समानान्तर कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे कि वर्ष 2016 के अन्त राज्य में कुल 59,108 से अधिक जन सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

कृपया इसे अति महत्त्वपूर्ण समझें तथा यथाशीघ्र कार्यवाही कर उक्त कार्यवाहियों से सी.ई.जी. को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भूपेन्द्र एस. चौधरी)
राज्य समन्वयक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. हेड, एस.ई.एम.टी., उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त डी.आई.ओ., एन.आई.सी. को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स (ई.डी.एम.), उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. गार्ड फाइल।

(भूपेन्द्र एस. चौधरी)
राज्य समन्वयक